

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बलिया

संख्या 86/2025

दिनांक : अप्रैल 18, 2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्राप्त पत्र संख्या 7356/Main (P)/Admin. (A-3) दिनांकित 31.05.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में दी सिविल बार एसोसिएशन, बलिया एवं क्रिमिनल एण्ड रेवेन्यू बार एसोसिएशन, बलिया द्वारा आख्या प्राप्त होने के फलस्वरूप, बलिया जजशिप में, माह मई एवं जून, 2025 में, कार्यालयों का समय प्रातः 6.30 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक व न्यायालयों का समय प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। उक्त अवधि में प्रातः 10.30 बजे से 11.00 बजे तक मध्याह्न-भोजनावकाश रहेगा।

यह आदेश वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रसड़ा, बलिया, ग्राम न्यायालय, रसड़ा, बलिया एवं ग्राम न्यायालय, सिकन्दरपुर, बलिया में भी प्रभावी होगा।

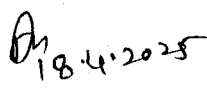
उपरोक्त आदेश से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया जावे।

आदेश की प्रतिलिपि, सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त करायी जावे तथा आदेश से समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को अवगत कराया जावे।


जनपद न्यायाधीश, 18-4-25
बलिया।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. पीठासीन अधिकारी, सिविल जज (जू0डि0) रसड़ा, बलिया।
2. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सिकन्दरपुर, बलिया।
3. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रसड़ा, बलिया।
4. जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
5. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
6. अध्यक्ष/सचिव, दीवानी अधिवक्ता संघ, बलिया।
7. अध्यक्ष/सचिव, क्रिमिनल एण्ड रेवेन्यू बार एसोसिएशन, बलिया।
8. अध्यक्ष/सचिव, रसड़ा बार एसोसिएशन।
9. अध्यक्ष/सचिव, ग्राम न्यायालय, सिकन्दरपुर, बार एसोसिएशन।
10. अध्यक्ष/सचिव, ग्राम न्यायालय, रसड़ा, बार एसोसिएशन।
11. अधीक्षक, जिला कारागार, बलिया।
12. जिला सूचना अधिकारी, बलिया को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. केंद्रीय नाजिर को सूचना पट्टिकाओं पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु।
14. सिस्टम आफिसर को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
15. ए0आर0एम0, यू0पी0एस0आर0टी0सी0, बलिया को परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने हेतु।


प्रति0 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
दीवानी न्यायालय,
बलिया।